रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1976/फाल्गुन 4, 1897

No. 88] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1976/PHALGUNA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 23rd February 1976

S.O. 134 (E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1976.

2. In sub-rule (1) of rule 12 of the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in clause (b), for sub-clause (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(ii) where the total income includes any income chargeable to income-tax under the head "Salaries" received from Government, but does not include any income chargeable to income-tax under the heads "Income from house property" or "Profits and gains of business or profession" or "Capital gains" and the person does not derive any agricultural income, be in Form No. 2A and be verified in the manner indicated therein;

(iii) where the total income does not include any income chargeable to income-tax under the head "Profits and gains of business or profession", and the case does not fall under clause (ii), be in Form No. 3 and be verified in the manner indicated therein;"

3. In Appendix II to the principal rules,—

(1) in Form No. 1,—

(i) in Part I, for item 10, the following item shall be substituted namely:—

"

10. TOTAL INCOME (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section 288A)	
(a) in figures	
(b) in words	

(ii) for Part II, the following Part shall be substituted, namely :—

"PART II: STATEMENT OF PRE-PAID TAXES

TAX DEDUCTED AT SOURCE (Attach certificates)		ADVANCE TAX (Attach proof of payment		TAX ON SELF ASSESSMENT [Attach proof of payment (*See* NOTE 1)]	
Particulars	Amount	Date of payment	Amount	Date of payment	Amount
1. Interest on securities .					
2. Other interest . .					
3. Dividends . . .					
4. Contract receipts .					
5. Insurance Commission .					
6. Any other income .					
TOTAL					

(iii) in the VERIFICATION, for the brackets and words "(Signature of the Principal Officer)", the brackets and word "(Signature)" shall be substituted;

(iv) for NOTE 1 below the VERIFICATION, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"NOTE 1. If any tax is payable on the basis of the return after taking into account the amount of tax, if any, already paid under any provision of the Income-tax Act, 1961, such tax must be paid before furnishing this return and the return should be accompanied by proof of such payment—section 140A.";

(v) in NOTE 2 below the VERIFICATION, for the words, "punishable with rigorous imprisonment which shall not ordinarily be less than six months and may extend to two years", the following shall be substituted, namely :—

"punishable,—

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine ;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine" ;

(vi) in Anexure B,—

(a) in Part I, for the sixth column, the following columns shall be subsituted, namely :—

Annual rent received or receivable including owner's burden of municipal taxes borne by tenants—*Explanation* to sec. 23(1)	Amount for which the property (exclusive of portion used for own business or profession) might reasonably be expected to let from year to year—sec. 23(1)

(b) In Part II, in column 2, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Amount for which the property (exclusive of portion used for own business or profession) might reasonably be expected to let from year to year or where the property is let and the annual rent received or receivable exceeds the said amount, such rent—sec. 23 (1).";

(c) in Part III, for NOTE 2, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"NOTE 2.—Give separately details of deductions claimed in respect of properties covered by the second proviso to sec. 23 (1)." ;

(vii) in Annexure C, in Part I,—

(a) in Sub-Part A,—

(I) in item 7, in sub-item (a), for the words "Auditor's report; and", the words, figures, letter and brackets "Auditor's report. If an audit of cost accounts of the company has been conducted under section 233B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), a copy of the Auditor's report should also be attached; and" shall be substituted ;

(II) after item 8, the following item shall be inserted, namely:—

"9. *Additional information to be furnished by producers of cinematograph films.*—

Has statement of payments to persons engaged in the production of cinematograph films been delivered to the Income-tax Officer concerned under sec. 285B? " ;

(b) in Sub-Part B,—

(I) in item 3—

(A) sub-item (1) shall be re-lettered as sub-item (n) and before sub-item (n) as so re-lettered, the following sub-items shall be inserted, namely:—

"(l) Provisions made for payment of gratuity—sec. 40A(7).

(m) Expenditure by way of interest in respect of deposits—sec. 40A(8).";

(B) in sub-item (n) as so re-lettered, for the words "Any provision", the words "Any other provision" shall be substituted;

(II) in the end, the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE.—Profits and gains of shipping business in case of non-residents should be computed in accordance with the special provisions in section 44B.";

(viii) in Annexure F, in Part I—

(a) item 2 shall be omitted;

(b) items 3 and 4 shall be re-numbered as items 2 and 3 respectively, and after item 3 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely:—

"4. Profits and gains from business of livestock breeding, or poultry or dairy farming. 80JJ";

(c) Item 10 shall be re-numbered as item 12 and before item 12 as so re-numbered, the following items shall be inserted, namely:—

"10. Interest on moneys borrowed to pay tax under the Act, 80V.

11. Expenditure in respect of proceedings relating to determination of liability under the Act. 80VV";

(d) the Note shall be re-numbered as Note 1 and in Note 1 as so re-numbered, for the figures and letter "80U", the figures and letters "80VV" shall be substituted;

(e) after Note 1 as so re-numbered, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note 2.—Where a deduction under section 80MM, section 80N or section 80O is claimed for the first time, a copy of the Board's order granting approval to the relevant agreement should be attached." ;

(ix) in Annexure G,—

(a) in the heading, for the words "AND DEDUCTION OF TAX AT SOURCE" the words " , DEDUCTION OF TAX AT SOURCE, ETC." shall be substituted;

(b) in Part I, in item 2, in sub-item (b), the word, abbreviation, figures, brackets and letters "or sec. 104(4)(a)/(b)" shall be omitted;

(c) after Part III, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART IV—OTHER PARTICULARS

1. Is the company liable to pay surtax ?

2. If the answer to item 1 is "yes", whether a return of chargeable profits has been furnished and, if so, on what date ?

(2) in Form No. 2,—

(i) in Part I,—

(a) for item 11, the following item shall be substituted, namely:—

"

11. TOTAL INCOME

(as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section [288A)

(a) in figures

(b) in words

";

(b) in item 12, for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:—

"(b) Income arising to spouse/minor child/son's wife/son's minor child or any other person as referred to in Chapter V of the Act." ;

(ii) for Part II and Part III, the following Parts shall be substituted, namely:—

"PART II— STATEMENT OF PRE-PAID TAXES

	TAX DEDUCTED AT SOURCE (Attach certificates)		ADVANCE TAX (Attach proof of payment)		TAX ON SELF ASSESSMENT [Attach proof of payment—(See NOTE 1)]	
Particulars	Amount	Date of payment	Amount	Date of payment	Amount	
1. Salaries . . .						
2. Interest on securities .						
3. Other interest .						
4. Dividends . . .						
5. Contract receipts. .						
6. Insurance commission .						
7. Any other income .						
TOTAL . . .						

PART III—STATEMENT REGARDING PARTICULARS OF INCOME EXEMPT FROM TAX

Particulars	Amount	Section under which income is exempted

PART IV—STATEMENT REGARDING PARTICULARS OF CERTAIN EXPENDITURE AND OUTGOINGS DURING THE PREVIOUS YEAR

(*See* Notes A and B)

	Particulars	*Amount*
1.	Taxes, interest or penalties paid under the Income-tax Act, the Wealth-tax Act and the Gift-tax Act.	
2.	Rent for residential premises.	
3.	Expenditure on maintenance of conveyance, if it exceeds Rs. 2,500/- in aggregate.	
4.	Electricity, water and telephone bills, if they exceed Rs. 2,500/- in aggregate.	
5.	Education expenses, if they exceed Rs. 2,500/- on any one dependent.	
6.	Club expenses, they exceed Rs. 1,000/- in aggregate.	
7.	Travel and holiday expenses, if they exceed Rs. 2,500/- in aggregate.	
8.	(a) Purchase of motor car, air conditioner, refrigerator or television set.	
	(b) Expenditure on other consumer durables including furniture and house-hold appliantes, if it exceeds Rs. 2,500/- in aggregate.	
9.	Expenditure on functions, ceremonies, entertainments or other events, if it exceeds Rs. 2,500/- in aggregtae of Rs. 1,000/- on any one occasion.	
10.	Gifts and donations, if they exceed Rs. 2,500/- in aggregate.	
11.	Purchase of stocks, shares, securities, etc., if the amount exceeds Rs. 2,500/- in aggregate.	
12.	Deposits, loans and advances, if they exceed Rs. 2,500/- in aggregate.	
13.	Purchase of immovable property.	
	Purchase of bullion, ornament and jewellery, if the amount exceeds Rs. 2,500/- in aggregate.	

PART V—STATEMENT OF ASSETS HELD AT THE END OF PREVIOUS YEAR (*See* Notes A and C)

	Particulars	*Approximate value/Amount*
1.	Land, including agricultural land.	
2.	House property.	
3.	Stocks, shares, securities, etc.	
4.	Deposits, loans and advances, if they exceed Rs. 2,500/- in aggregate.	
5.	Vehicles.	
6.	Bullion, ornaments, jewellery, if the value exceeds Rs. 50,000/- in aggregate.	
7.	Cash balance.	
8.	Bank balance.	

NOTE A: Where precise details are not available, the amount may be given by estimate.

NOTE B: Where an expenditure is included under one item, it need not be included under any other item.

NOTE C: Where there are more than one previous year, the position as at the end of the previous year ending last may be stated.

PART VI—LIST OF STATEMENTS AND CERTIFICATES, ETC. ATTACHED

Statements	Certificates, etc.

(iii) for NOTE 1 below the VERIFICATION, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"NOTE 1. If any tax is payable on the basis of this return, after taking into account the amount of tax, if any, already paid under any provision of the Income-tax Act, 1961, such tax must be paid before furnishing this return and the return should be accompanied by proof of such payment—section 140A.",

(iv) in NOTE 2 below the VERIFICATION, for the words, "punishable with rigorous imprisonment which shall not ordinarily be less than six months and may extend to two years", the following shall be substituted, namely:—

"punishable,—

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine";

(v) in Annexure A, in Part I, in item 1, for the brackets and words "(including arrears or advance of salary)", the brackets, words and figures "[including arrears or advance of salary or repayment of any amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974]" shall be substituted ;

(vi) in Annexure C,—

(a) in Part I,—

(i) in the first column, the figure "2" shall be omitted and the figures "3", "4" and "5" shall be re-numbered respectively as "2", "3" and "4";

(ii) for the sixth column, the following columns shall be substituted, namely :—

"

Annual rent received or receivable including owner's burden of municipal taxes borne by tenants—	Amount for which the property (exclusive of portion used for own business or profession) might reasonably be expected to let from year to year—
Explanation to sec. 23(1)	sec. 23 (1)

(b) for Part II, the following Part shall be substituted, namely :—

"

PART II—COMPUTATION OF ANNUAL VALUE OF SELF-OCCUPIED PROPERTY COVERED BY SECTION 23(2)/(3)

1. Amount for which the property might reasonably be expected to let from year to year—sec. 23(1)

2. *Deduct* : Municipal taxes on property—first proviso to sec. 23(1)

3. Balance : (1 *minus* 2)
4. *Deduct* : Share of oher co-owners (Give details).
5. Balance : (3 *minus* 4)
6. *Deduct* : Half the amount in item 5 or Rs. 1,800, whichever is less
7. Balance : [5 *minus* 6] [Limited to 10% of gross total income exclusive of income relating to self-occupied property—proviso to sec. 23(2)]
8. Deduction for property neither let nor occupied [applicable where the assessee owns one residential house only]—sec. 23(3)
9. Annual value of self-occupied property (7 *minus* 8) ";

(c) in Part III, in column 2, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Amount for which the property (exclusive of portion used for own business or profession) might reasonably be expected to let from year to year or where the property is let and the annual rent received or receivable exceeds the said amount, such rent—sec. 23(1)."

(d) for Part IV, the following Part shall be substituted, namely :—

"PART IV—COMPUTATION OF INCOME

SUB-PART A—COMPUTATION OF INCOME FROM SELF-OCCUPIED PROPERTY COVERED BY SEC. 23(2)/(3)

1. Annual value of self-occupied property—from Part II
2. Deductions in respect of : [See Notes]
 (a) Repairs—sec. 24(1)(i)
 (b) Insurance—sec. 24(1)(ii)
 (c) Interest on mortgage or capital charge—sec. 24(1)(iii)
 (d) Ground rent—sec. 24(1)(v)
 (e) Interest on borrowed money—sec. 24(1)(vi)
 (f) Land revenue, etc.—sec. 24(1)(vii)
 (g) Irrecoverable rent—sec. 24(1)(x) and rule 4
 TOTAL
3. Net chargeable income : (1 *minus* 2)

SUB-PART B—COMPUTATION OF INCOME FROM OTHER PROPERTY (NOT COMPRISED IN SUB-PART A)

1. Annual value of other property—from Part III
2. Deductions in respect of : [See Notes]
 (a) Repairs—sec. 24(1)(i)
 (b) Insurance—sec. 24(1)(ii)
 (c) Interest on mortgage or capital charge—sec. 24(1)(iii)
 (d) Annual charge—sec. 24(1)(iv)
 (e) Ground rent—sec. 24(1)(v)
 (f) Interest on borrowed money—sec. 24(1)(vi)
 (g) Land revenue, etc.—sec. 24(1)(vii)
 (h) Collection charges—sec. 24(1)(viii)
 (i) Vacancies—sec. 24(1)(ix)
 (j) Irrecoverable rent—sec. 24(1)(x) and rule 4
 TOTAL

3. Balance : (1 *minus* 2) _____

4. Deduct : Share of other co-owners : [Give details] . . . _____

5. Net chargeable income _____

SUB-PART C—COMPUTATION OF AGGREGATE INCOME

1. Net chargeable income from self-occupied property—from Sub-Part A

2. Net chargeable income from other property—from Sub-Part B

3. Total net chargeable income carried to item 3 on page 1";

(e) for Note 2, the following Notes shall be substituted, namely :—

"NOTE 2. Give separately details of deductions claimed in respect of properties covered by second proviso to sec. 23(1) and by sec. 23(3).

NOTE 3. Where the property shown in Sub-Part B consists of more than one house, and (i) one or more of such houses are owned exclusively by the assessee and the rest jointly with other co-owners, or (ii) all such houses are owned jointly with other co-owners but the shares of the co-owners in different properties are not the same, computation of income form each such house should be given separately and net chargeable income from all such houses shown against item 5 of that Sub-Part.";

(vii) In Annexure D, in Part I,—

(a) in Sub-Part A, after item 10, the following item shall be inserted, namely :—

"11. *Additional information to be furnished by] producers of cinematograph films.*—

Has statement of payments to persons engaged in the production of cinematograph films been delivered to the Income-tax Officer concerned under sec. 285B?"

(b) in Sub-Part B,—

(I) in item 3—

(A) sub-item (1) shall be re-lettered as sub-item (m) and before sub-item (m) as so relettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—

"(1) Provisions made for payment of gratuity-sec. 40A(7).";

(B) in sub-item (m) as so re-lettered, for the words "Any provision", the words "Any other provision" shall be substituted;

(II) for item 8, the following item shall be substituted, namely :—

"8. Deduction in respect of expenditure on scientific research/export markets development allowance/agricultural development allowance admissible in excess of amounts debited to P. & L. Account—Secs. 35, 35B and 35C";

(III) at the end, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note.—Profits and gains of shipping business in the case of non-residents should be computed in accordance wih the special provisions in section 44B.";

(viii) in Annexure G, in Part I,—

(a) items 5, 6, 7 and 8 shall be re-numbered respectively as items 6, 7, 8 and 11 and

(I) before item 6 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

"5. Profits and gains from business of livestock breeding, or poultry or dairy farming. 80JJ";

[(II) before item 11 as so re-numbered, the following items shall be inserted, namely :—

"9. Interest on moneys borrowed to pay tax under the Act. 80V

10. Expenditure in respect of proceedings relating to determination of liability under the Act. 80VV";

(III) in item 11 as so re-numbered, for the figures and letters "80H to 80P, 80R", the figures and letters "80FF, 80GG, 80J to 80P, 80R, 80RR" shall be substituted ;

(b) in the Note, for the figures and letter "80U", the figures and letters "80VV" shall be substituted ;

(3) after Form No. 2, the following Form shall be inserted, namely :—

"Form No. 2A RETURN OF INCOME

Income-tax Act, 1961 Rule 12(1)(b)(ii)	For individuals whose total income includes income under the head "Salaries" received from Government, but does not include any income under the heads "Income from house property", "Profits and gains of business or profession" or "Capital gains" and who do not have any agricultural income.	For use in Income-tax Office

Name in block letters (Write first the surname) *Assessment year*

Office address *Telephone* *Previous year(s) ended on*

†*Residential address* *Telephone* *Permanent Account Number*

Whether this is a revised return. If so, state date of previous return.

State whether resident, non-resident or not ordinarily resident

PART I—STATEMENT OF TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME UNDER CHAPTER V OF THE ACT)

HEAD OF INCOME		Income/loss (Rs.) (if nil write 'NIL')
1. SALARIES (Annexure A)		
2. INTEREST ON SECURITIES (See Note)	(a) Government securities	
	(b) Other securities	
3. INCOME FROM OTHER SOURCES (See Note)	(a) Dividends	
	(b) Interest	
	(c) Annuity or its commuted value—sec. 280D	
	(d) Other items	
4. Aggregate of items 1 to 3 [Subject to adjustment of losses under sections 70, 71 and 74A]		
5. *Deduct:* Unabsorbed losses/allowances brought forward from earlier years under section 57 read with section 32(2)		
6. GROSS TOTAL INCOME		
7. *Less*: Admissible deductions (Part I of Annexure B)		
8. TOTAL INCOME (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section 288A)	(a) In figures : (b) In words :	

9. Income included in items 1 to 3 :

(a) Income accruing or arising outside India.

(b) Income arising to spouse/minor child/son's wife/son's minor child or any other person as referred to in Chapter V of the Act.

†Members of armed forces may indicate here their CDA(O)/Service or P.A. Number.

NOTE: In respect of "Interest on securities" and "Income from other sources", give on a separate sheet details of gross income and expenditure claimed.

PART II—STATEMENT OF PRE-PAID TAXES

TAX DEDUCTED AT SOURCE (Attach certificates)		ADVANCE TAX (Attach proof of payment)		TAX ON SELF ASSESSMENT [Attach proof of payment (See Note 1)]	
Particulars	Amount	Date of payment	Amount	Date of payment	Amount
1. Salaries . . .					
2. Interest on securities .					
3. Other interest .					
4. Dividends . . .					
5. Any other income .					
TOTAL . . .					

PART III—STATEMENT REGARDING PARTICULARS OF INCOME EXEMPT FROM TAX

Particulars	Amount	Reasons why not taxable

LIST OF STATEMENTS AND CERTIFICATES, ETC. ATTACHED

Statements	Certificates, etc.

VERIFICATION (*See* Note 2)

I.....(name in full and in block letters) *son/daughter/wife of.....solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this return and the Annexures and Statements accompanying it is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truely stated and relate to the previous year(s) relevant to the assessment year commencing on the first day of April, 19..... .

I further solemnly declare that during the said previous year(s)—

(a) no other income accrued or arose to or was received by

*me

the person for and on whose behalf this return is furnished

the person in respect of whose total income I am assessable

from any asset held in

*my name

the name of the person for and on whose behalf this return is furnished

the name of the person in respect of whose total income I am assessable

or in the name of any other person;

(b) there is no other income, including income of any other person, in respect of which

*I am

the said person is

chargeable to tax under the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as..... and that I am competent to make return and verify it.

Place

Date..... (Signature)

*Strike out whichever is not applicable.

NOTE 1. If any tax is payable on the basis of this return after taking into account the amounts of tax, if any, already paid under any provision of the Income-tax Act, 1961, such tax must be paid before furnishing this return, and the return should be accompanied by proof of such payment—section 140A.

NOTE 2. BEFORE SIGNING THE VERIFICATION, THE SIGNATORY SHOULD SATISFY HIMSELF THAT THIS RETURN AND THE ACCOMPANYING ANNEXURES AND STATEMENTS ARE CORRECT AND COMPLETE IN ALL RESPECTS. (Any person making a false statement in this return or the accompanying Annexures or Statements shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable,—

(*i*) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(*ii*) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.)

ANNEXURE A—SALARIES

PART I—COMPUTATION OF INCOME

Salary [including arrears of advance of salary or repayment of any amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974], wages, fees, pension (including commuted value of pension), annuity and gratuity due, paid or allowed during the previous year, to the extent these are not exempt from tax . . .	
. *Other cash allowances/payments, to the extent these are not exempt from tax;*	
(a) House rent	
(b) Conveyance	
(c) Entertainment	
(d) Other items: (Give details)	
TOTAL	
3. *Value of perquisites provided by employer:*	
(a) Free or concessional accommodation—sec. 17(2)(i) and (ii)	
(b) Free or concessional benefits/amenities—sec. 17(2)(iii) (c) : (See Note 1) e.g.,	
(*i*) Conveyance-rule 3(c)	
(*ii*) Gas, electric energy and water-rule 3(d) . .	
(*iii*) Domestic or personal services . . .	
(*iv*) Personal travelling	
(*v*) Any other items (Give details) . . .	
TOTAL	
(c) Payments by employer in respect of obligations of assessee (including children's education, income-tax etc.) and sums payable by employer for life assurance or annuity—sec. 17(2)(iv) and (v)	
4. Profits in lieu of or in addition to salary or wages and any other income chargeable under the head "Salaries". (Give details):	
TOTAL of items 1 to 4	
6. *DEDUCTIONS in respect of;* (See Note 2)	
(a) Expenditure incidental to employment . sec. 16(i)	
(b) Entertainment allowance . . . sec. 16(ii)	
Total of sub-items (a) & (b)	
7. Net income assessable under the head "Salaries" carried to item 1 on page 1	

NOTE 1. Item 3(b) to be filled in only by persons whose income under the head "Salaries" (exclusive of non-monetary benefits/amenities) exceeds Rs. 18,000/-.

NOTE 2. Where the return relates to assessment year 1974-75 or any earlier assessment year deductions under section 16(i) to (v) should be shown separately.

PART II—AMOUNTS NOT INCLUDED IN PART I BY REASON OF EXEMPTION CLAIMED UNDER SECTION 10.

1. Travel concession—sec.10(5)
2. Gratuity—sec.10(10)
3. House rent allowance—sec. 10(13A)
4. Conveyance or other specific allowances—sec. 10(14) .
5. Other items: (Give details)

ANNEXURE B—DEDUCTIONS, TAX REBATES AND RELIEFS CLAIMED

PART I—DEDUCTIONS

Particulars	Section	Gross amount	Qualifying amount	Rate % or limit of deduction	Amount of deduction
1. Life insurance premiums, contributions to provident funds, etc. .	80C				
2. Donations	80G				
3. Dividends attributable to profits from newly established industrial undertakings, ships or hotel business	80K				
4. Interest on certain securities, other interest, dividends, etc. . .	80L				
5. Other deductions, if any, including those admissible under sections 80D to 80FF, 80GG, 80R, 80RRA, 80TT, 80U to 80VV or 280-O (Give details)					

Total carried to item 7 on page 1

PART II—TAX REBATES

Particulars	Amount
1. Interest on tax free securities—sec. 86A . . .	
2. Any other items: (Give details)	

PART III—DOUBLE TAXATION RELIEF

Income included in total income on which double taxation relief is claimed under section 90 or 91: (Give details). . .	

"

(4) in Form No. 3,—

(i) for the word, figures, brackets and letter "Rule 12(1)(b)(ii)" the word, figures, bracket and letter "Rule 12(1)(b)(iii)" shall be substituted;

(ii) in Part I,—

(a) for item 10, the following item shall be substituted, namely:—

"

10. TOTAL INCOME (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section 288A)	
(a) in figures	
(b) in words	

";

(b) in item 11, for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted namely:—

"(b) Income arising to spouse/minor child/son's wife/son's minor child or any other person as referred to in Chapter V of the Act.";

(iii) for Part II and Part III, the following Parts shall be substituted, namely:—

"PART II—STATEMENT OF PRE-PAID TAXES

TAX DEDUCTED AT SOURCE (Attached certificates)		ADVANCE TAX (Attached proof of payment)		TAX ON SELF-ASSESSMENT [Attached proof of payment (See NOTE 1)]	
Particulars	Amount	Date of payment	Amount	Date of payment	Amount
1. Salaries . . .					
2. Interest on securities .					
3. Other interest . .					
4. Dividends . . .					
5. Contract receipts .					
6. Insurance commission .					
7. Any other income .					
TOTAL . . .					

PART III—STATEMENT REGARDING PARTICULARS OF INCOME EXEMPT FROM TAX

Particulars	Amount	Section under which income is exempted

LIST OF STATEMENTS AND CERTIFICATES, ETC. ATTACHED

Statements	Certificates, etc.

(iv) for NOTE 1 below the VERIFICATION, the following Note shall be substituted namely —

"NOTE 1.—If any tax is payable on the basis of this return after taking into account the amount of tax, if any, already paid under any provision of the Income-tax Act, 1961 such tax must be paid before furnishing this return and the return should be accompanied by proof of such payment—Section 140A ",

(v) in NOTE 2 below the VERIFICATION, for the words "punishable with rigorous imprisonment which shall not ordinarily be less than six months and may extend to two years", the following shall be substituted, namely:—

"punishable,—

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine ,

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine";

(vi) in Annexure A, in Part I, in item 1, for the brackets and words "(including arrears or advance of salary)", the brackets, words and figures "including arrears or advance of salary or repayment of any amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974]" shall be substituted ,

(vii) in Annexure B,—

(a) in Part I,—

(i) in the first column, the figure "2" shall be omitted and the figures "3", "4" and "5" shall be re-numbered respectively as "2", "3" and "4" ;

(ii) for the sixth column, the following columns shall be substituted, namely:—

Annual rent received or receiveable including owner's burden of municipal taxes borne by tenants—*Explanation* to sec 23(1)	Amount for which the property might reasonably be expected to let from year to year—sec 23(1)

";

(b) for Part II, the following Part shall be substituted, namely —

"

PART II—COMPUTATION OF ANNUAL VALUE OF SELF-OCCUPIED PROPERTY COVERED BY SECTION 23(2)/(3)

1. Amount for which the property might reasonably be expected to let from year to year.—sec. 23(1)	
2. *Deduct* : Municipal taxes on property—first proviso to sec. 23(1)	
Balance (1 *minus* 2)	
4 *Deduct* : Share of other co-owners (Give details).	
5 Balance : (3 *minus* 4)	
6. *Deduct* : Half the amount in item 5 or Rs 1,800, whichever is less	
7 Balance : [5 *minus* 6] [Limited to 10% of gross total income exclusive of income relating to self-occupied property—proviso to section 23(2)]	
8 Deduction for property neither let nor occupied [Applicable where the assessee owns one residential house only]—section 23(3)	
9. Annual value of self-occupied property (7 *minus* 8)	

"

(c) in Part III, in column 2, for the heading, the following heading shall be substituted namely :—

"Amount for which the property might reasonably be expected to let from year to year or where the property is let and the annual rent received or receiveable exceeds the said amount, such rent—sec. 23(1).";

(d) for Part IV, the following Part shall be substituted, namely :—

"PART IV—COMPUTATION OF INCOME

SUB-PART A—COMPUTATION OF INCOME FROM SELF-OCCUPIED PROPERTY COVERED BY SECTION 23(2)/(3)

1. Annual value of self-occupied property—from Part II

2. Deductions in respect of : [*See* Notes].

(a) Repairs—sec. 24(1)(*i*)

(b) Insurance—sec. 24(1)(ii)

(c) Interest on mortgage or capital charge—sec. 24(1)(iii)

(d) Ground rent—sec. 24 (1) (v)

(e) Interest on borrowed money sec. 24(1)(vi)

(f) Land revenue, etc.—sec. 24(1)(vii)

(g) Irrecoverable rent —sec. 24(1)(x) and rule 4

TOTAL _____

3. Net chargeable income : (1 *minus* 2) _____

SUB-PART B—COMPUTATION OF INCOME FROM OTHER PROPERTY (NOT COMPRISED IN SUB-PART A)

1. Annual value of other property—from Part III

2. Deductions in respect of : [See Notes]

(a) Repairs—sec. 24(1)(i)

(b) Insurance—sec. 24(1)(ii)

(c) Interest on mortgage or capital charge sec 24(1)(iii)

(d) Annual charge—sec. 24(1)(iv)

(e) Ground rent—sec. 24(1)(v)

(f) Interest on borrowed money—sec. 24(1)(vi)

(g) Land revenue, etc.— sec 24(1)(vii)

(h) Collection charges—sec. 24(1)(viii)

(i) Vacancies—sec. 24(1)(ix)

(g) Irrecoverable rent—sec. 24(1) (x) and rule 4

TOTAL _____

3. Balance (1 *minus* 2) _____

4. Deduct: Share of other co-owners: [Give details] _____

5. Net chargeable income _____

SUB-PART C : COMPUTATION OF AGGREGATE INCOME

1. Net chargeable income from self-occupied property—from Sub-Part A.....

2. Net chargeable income from other property—from Sub-Part B

3. Total net chargeable income carried to item 3 on page 1

(c) for Note 2, the following Notes shall be substituted, namely:—

"NOTE 2. Give separately details of deductions claimed in respect of properties covered by second proviso to sec. 23(1) and by sec. 23(3).

NOTE 3. Where the property shown in Sub-Part B consists of more than one house and (i) one or more of such houses are owned exclusively by the assessee and the rest jointly with other co-owners, or (ii) all such houses are owned jointly with other co-owners but the shares of the co-owners in different properties are not the same, computation of income from each such house should be given separately and net chargeable income from all such houses shown against item 5 of that Sub-Part.";

(viii) in Annexure D, in Part I,—

(a) for item 6, the following items shall be substituted, namely:—

"6. Interest on moneys borrowed to pay tax under the Act. 80V

7. Expenditure in respect of proceedings relating to determination of liability under the Act. 80V

8. Other deductions, if any, including those admissible under section 80D to 80FF, 80GG, 80P, 80R, 80RRA, 80TT, 80U or 280-O [Give details]";

(b) in the Note, for the figures and letter "80U", the figures and letters "80VV" shall be substituted;

(5) in Form No. 3A,—

(i) in Part I,—

(a) for item 9, the following item shall be substituted, namely:—

†"9. *Deduct* :

(i) Amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year. (See Notes 1 and 2)

(ii) Amount deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year—clause (2) of the *Explanation* to section 11(1). (See Notes 1 and 2)

(iii) Amount *accumulated or set apart / finally set apart for application to charitable or religious purposes to the extent it does not exceed 25 per cent. of the income derived from property held in trust *wholly / in part only for such purposes.

(iv) Amount eligible for exemption under section 11(1)(c). (Give details)

(v) Amount, in addition to the amount referred to in (iii) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) are fulfilled :* (See Note 3)

(vi) Total of (i) to (v) : (See Note 4)";

(*b*) for item 11, the following item shall be substituted, namely :—

"11. *Add* :	
(*i*) Income chargeable under section 11 (1B)	
(*ii*) Income chargeable under section 11 (3)	
(*iii*) Income in respect of which exemption under section 11 is not available by reason of provisions of section 13 (Annexure I).";	

(c) for item 14, the following item shall be substituted, namely:—

"14. TOTAL INCOME (as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—section 288A)	
(*a*) in figures	
(*b*) in words	"

(ii) in Part II,—

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"PART II : STATEMENT REGARDING PARTICULARS OF INCOME EXEMPT FROM TAX ";

(b) in column 3, for the words " Reasons why not taxable ", the words " Section under which income is exempted " shall be substituted ;

(c) Note 1, Note 2, Note 3 and Note 4 below the VERIFICATION shall be re-numbered respectively as Note 2, Note 3, Note 4 and Note 5 and before Note 2 as so re-numbered the following Note shall be inserted, namely:—

"† *Note* 1 In the case of a trust or institution which is not created or established wholly for charitable or religious purposes, any amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year out of voluntary contribution received by the trust or institution is not allowable as a deduction.";

(iv) in Note 3 as so re-numbered, below the VERIFICATION, for the brackets and figures " (*iii*)", the brackets and figures " (*v*) " shall be substituted ;

(v) in Note 4 as so re-numbered, below the VERIFICATION, for the words, brackets and figures " item (*i*), (*ii*) and (*iii*)" the words, brackets and figures " item (*i*), (*ii*), (*iii*), (*iv*) and (*v*) " shall be substituted ;

(vi) in Note 5 as so re-numbered, for the words "punishable with rigorous imprisonment which shall not ordinarily be less than six months and may extend to two years", the following shall be substituted, namely :—

"punishable,—

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.";

(vii) in Annexure B,—

(a) in Part I, for column (6), the following columns shall be substituted, namely :—

(6)	(7)
Annual rent received or receivable including owner's burden of municipal taxes borne by tenants—*Explanation* to sec. 23 (1)	Amount for which the property (exclusive of portion used for own business or profession) might reasonably be expected to let from year to year—sec. 23(1)

";

(b) in Part II, in column (2), for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Amount for which the property (exclusive of portion used for own business or profession) might reasonably be expected to let from year to year or where the property is let and the annual rent received or receivable exceeds the said amount such rent—sec. 23(1).";

(viii) in Annexure C, in Part I,—

(a) in Sub-Part A,—

(I) in item 7, in sub-item (*a*) for the words "Auditor's report ; and", the words, figures, letter and brackets "Auditor's report. If an audit of cost accounts of the company has been conducted under section 233B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), a copy of the Auditor's report should also be attached; and" shall be substituted;

(II) after item 8, the following item shall be inserted, namely :—

"9. *Additional information to be furnished by producers of cinematograh films*,—

Has statement of payments to persons engaged in the production of cinematograph films been delivered to the Income-tax Officer concerned under sec. 285B?"

(b) in Sub-Part B,—

(I) in item 3—

(A) sub-item (i) shall be re-lettered as sub-item (*n*) and before sub-item (*n*) as so re-lettered, the following sub-items shall be inserted, namely :—

"(1) Provisions made for payment of gratuity—sec. 40A(7).

(*m*) Expenditure by way of interest in respect of deposits—sec. 40A (8)." ;

(B) in sub-item (*n*) as so re-lettered, for the words "Any provision", the words "Any other provision" shall be substituted;

(II) in the end, the following Note shall be inserted, namely :—

"NOTE.—Profits and gains of shipping business in case of non-residents should be computed in accordance with the special provisions in section 44B.";

(ix) in Annexure F, in Part I,—

(a) item 3 shall be re-numbered as item 5, and before item 5 as so re-numbered, the following items shall be inserted, namely :—

"3. Interest on monies borrowed to pay tax under the Act. 80V

4. Expenditure in respect of proceedings relating to determination of liability under the Act. 80VV";

(b) the Note shall be re-numbered as Note 1, and in Note 1 as so re-numbered for the figures and letter "80U", the figures and letters "80VV" shall be substituted ;

(c) after Note 1 as so re-numbered, the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE 2.—Where a deduction under section 80MM, section 80N, or section 80 O is claimed for the first time, a copy of the Board's order granting approval to the relevant agreement should be attached.";

(x) for Annexure G, the following Annexure shall be substituted, namely :—

"ANNEXURE G—STATEMENT OF PRE-PAID TAXES

	TAX DEDUCTED AT SOURCE (Attach certificates)		ADVANCE TAX (Attach proof of payment)		TAX ON SELF ASSESSMENT [Attach proof of payment (*See* Note)]
Particulars	Amount	Date of payment	Amount	Date of payment	Amount
1. Interest on securities					
2. Other interest					
3. Dividends					
4. Any other income					
TOTAL					

NOTE : If any tax is payable on the basis of this return, after taking into account the amount of tax, if any, already paid under any provision of the Income-tax Act, 1961, such tax must be paid before furnishing this return and the return should be accompanied by proof of such payment—section 140A".

[No. 1242/F. No. 133 (220)/75-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secretary, Central Board of Direct Taxes

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 134 (अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 12 के उपनियम (1) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) जहां कुल आय में सरकार से प्राप्त कोई आय, जो 'वेतन' शीर्ष के अन्तर्गत आय-कर से प्रभार्य है, सम्मिलित है, किन्तु "गृह सम्पत्ति से आय" या "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ "या" पूंजी अभिलाभ" शीर्षों के अन्तर्गत आय-कर से प्रभार्य कोई आय सम्मिलित नहीं है, और व्यक्ति की कोई कृषि-आय नहीं है, प्ररूप सं० 2क में दी जाएगी, और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ;

(iii) जहां कुल आय में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य कोई आय सम्मिलित नहीं है, और मामला खंड (ii) के अन्तर्गत नहीं आता है, प्ररूप सं० 3 में दी जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी";

3. मूल नियमों के परिशिष्ट II में,—

(1) प्ररूप सं० 1 में,—

(i) भाग I में, मद 10 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्

10. **कुल आय**

(दस रुपये के निकटतम गुणज तक यथापूर्णांकित—धारा 288क)

(क) अंकों में

.....

(ख) शब्दों में

....."";

(ii) भाग II के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भाग II : पूर्व संदत्त करों का विवरण

स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए)		अग्रिम कर (संदाय का सबूत संलग्न कीजिए)		स्वतः निर्धारण पर कर संदाय का सबूत संलग्न करें (टिप्पण 1 देखिए)	
विशिष्टियां	रकम	संदाय की तारीख	रकम	संदाय की तारीख	रकम
1. प्रतिभूतियों पर ब्याज					
2. अन्य ब्याज					
3. लाभांश					
4. संविदा प्राप्तियां					
5. बीमा कमीशन					
6. कोई अन्य आय					
योग					

(iii) **सत्यापन** में, " (प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(हस्ताक्षर)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) **सत्यापन** के नीचे **टिप्पण**–1 के स्थान पर, निम्नलिखित **टिप्पण** रखा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण-1.—यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबन्ध के अधीन पहले ही दिए गए कर की रकम को, यदि कोई हो, गणना में लेने के पश्चात् इस विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, तो ऐसा कर इस विवरणी के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अवश्य संदत्त किया जाना चाहिए और विवरणी के साथ ऐसे संदाय का सबूत भी होना चाहिए — धारा 140क" ;

(v) **सत्यापन** के नीचे टिप्पण-2 में, "कठिन कारावास से, जो मामूली तौर से छह मासों से कम के लिए नहीं होगा और दो वर्षों तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) एक लाख रुपये से अधिक कर के आशयित अपवंचन के मामले में कठिन कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से ;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का दण्डनीय होगा" ;

(vi) उपाबन्ध, 'ख' में,—

(क) भाग I में, छठे स्तम्भ के स्थान पर, निम्नलिखित स्तम्भ रखे जाएंगे, अर्थात् :—

प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक जिसके अन्तर्गत अभिधारी द्वारा वहन किए गए वे नगरपालिक कर भी आते हैं जिसका भार स्वामी पर है —	वह राशि, जिसके लिए सम्पत्ति (निजी कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग में लाए गए भाग के सिवाय) का वर्षानुवर्ष किराये पर किया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो—धारा 23 (1)
धारा 23 (1) का स्पष्टीकरण	

";

(ख) भाग II में, स्तम्भ 2 में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वह राशि जिसके लिए सम्पत्ति (निजी कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग में लाए गए भाग के सिवाय) का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो या जहां सम्पत्ति किराए पर दी जाए और प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक उक्त रकम से अधिक हो, ऐसा भाटक धारा 23 (1)";

(ग) भाग III में, टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण 2—धारा 23 (1) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों की बाबत दावा की गई कटौतियों के ब्यौरे पृथक से दीजिए।" ;

(vii) उपाबन्ध 'ग' में, भाग 1 में,—

(क) उप-भाग 'क' मे , —

(I) मद 7 में उप-मद (क) मे,

"संपरीक्षक की रिपोर्ट और" शब्दों के स्थान पर, "संपरीक्षक की रिपोर्ट यदि कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 233 ख के अधीन की गई हो तो संपरीक्षक की रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए, और" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(II) मद 8 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"**9. चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सूचना :**—क्या चल-चित्र फिल्मों के निर्माण में लगाए गए व्यक्तियों को किए गए संदायों का विवरण धारा 285 ख के अधीन; सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को दे दिया गया है ?" ;

(ख) उप–भाग 'ख' में,—

(I) मद 3 मे —

(क) उप-मद (ठ) को उप-मद (ड) के रूप मे पुनः अक्षरांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःअक्षराकित मद (ढ) से पूर्व निम्नलिखित उप-मदें अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(ठ) उपदान के संदाय के लिए की गई व्यवस्था—धारा 40 क (7)

(ड) निक्षेपों की बाबत ब्याज के रूप मे व्यय—धारा 40 क (8)";

(ख) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उप-मद (ढ़) में, "कोई व्यवस्था" शब्दों के स्थान पर, "कोई अन्य व्यवस्था" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पणः—अनिवासियों की दशा में पोत परिवहन से लाभ और अभिलाभ धारा 44ख में के विशेष उपबंधो के अनुसार, संगणित किए जाने चाहिएं।" ;

(viii) उपाबन्ध 'ब' मे, भाग I में—

(क) मद 3 का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद 3 और 4 को क्रमश. मद 2 और 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार, पुनः संख्यांकित मद 3 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

"4. पशु-धन प्रजनन, या कुक्कुट पालन या दुग्ध-उद्योग के कारबार से लाभ और अभिलाभ —80 ञ्ञ";

(ग) मद 10 को मद 12 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित मद 12 से पूर्व, निम्नलिखित मदें, अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"10. अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए उधार लिए गए धनों पर ब्याज—80फ

11. अधिनियम के अधीन दायित्व के अवधारण से सम्बन्धित कार्यवाहियों की बाबत व्यय—80 फ फ";

(घ) टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 1 में, "80 प" अंको और अक्षर के स्थान पर "80 प प" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"टिप्पण 2— जहां धारा 80 ड ड, धारा 80 ढ़ या धारा 80 ण के अधीन कटौती का प्रथम बार दावा किया जाए, वहां बोर्ड के उस आदेश की प्रति जिससे सुसंगत करार का अनुमोदन किया गया हो संलग्न की जानी चाहिए।"

(ix) उपाबन्ध "छ" में, —

(क) शीर्षक में, "और स्त्रोत पर कर की कटौती" शब्दों के स्थान पर, स्त्रोत पर कर की कटौती, आदि शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) भाग I में, मद 2 में, उप-मद (ख) में,

"या धारा 104 (4) (क)/(ख)" शब्दों, अंको, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ग) भाग III के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग IV—अन्य विशिष्टियां

1. क्या कम्पनी अतिकर का संदाय करने के लिए दायी है ?
2. यदि मद 1 का उत्तर 'हां' है, तो क्या प्रभार्य लाभों की विवरणी दी गई है और यदि हां, तो किस तारीख को? " ;

(2) प्ररूप सं० 2 में,—

(i) भाग I में,—

(क) मद 11 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"

11. कुल आय

(दस रुपये के निकटतम गुणज तक यथा, पूर्णांकित—धारा 288क)

(क) अकों में

(ख) शब्दों में

";

(ख) मद 12 में, उप-मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ख) पति या पत्नी/अवयस्क संतान/पुत्र की पत्नी/पुत्र की अवयस्क संतान या अधिनियम के अध्याय में यथानिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को उद्भूत होने वाली आय।" ;

(ii) भाग II और भाग III के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखे जाएंगे अर्थात :—

"भाग II : पूर्व संदत्त करों का विवरण

स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)		अग्रिम कर (संदाय का सबूत संलग्न कीजिए)	स्वतः निर्धारण पर कर [संदाय का सबूत, संलग्न करें, (टिप्पण 1 देखिए)]	
विशिष्टियां	रकम	संदाय की तारीख	रकम	संदाय की तारीख
1. वेतन				
2. प्रति भूतियों पर ब्याज				
3 अन्य ब्याज				
4. लाभांश				
5. संविदा प्राप्तियां				
6. बीमा कमीशन				
7. कोई अन्य आय				
जोड़				

भाग III—कर से छूट प्राप्त आय की विशिष्टियो के सम्बन्ध में विवरण

विशिष्टिया	रकम	धारा, जिसके अधीन आय को छूट दी गई है।

भाग IV—पूर्व वर्ष के दौरान कतिपय व्यय और निर्गमो की विशिष्टियों के सम्बन्ध मे विवरण

(टिप्पण क और ख देखिए)

विशिष्टियां	रकम
1. आय-कर अधिनियम, धन-कर अधिनियम और दान-कर अधिनियम के अधीन सदत्त-कर, ब्याज या शास्तिया।	
2. निवास परिसर के लिए भाटक।	
3. सवारी के रख-रखाव पर व्यय, यदि वह कुल मिलाकर 2, 500 रु० से अधिक हो।	
4 विद्युत, जल और टेलीफोन बिल, यदि वे कुल मिलाकर 2,500 रु० से अधिक हों।	
5. शिक्षा व्यय, यदि वह किसी एक आश्रित पर 2,500 रु० से अधिक हों।	
6. क्लब व्यय, यदि वह कुल मिलाकर 1000 रु० से अधिक हो।	
7. यात्रा और अवकाश-दिन व्यय, यदि वह कुल मिलाकर 2,500 रु० से अधिक हों।	
8 (क) मोटरकार, वातानुकूल (एयर कंडीशनर) प्रशीतक (रेफ्रीजरेटर) या टेलीविजन सैट का क्रय ;	
(ख) अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर, जिनमे फर्नीचर और घरेलू साधित्र सम्मिलित है, व्यय, यदि वह कुल मिलाकर 2,500 रु० से अधिक हो।	
9. उत्सवो, औपचारिक सस्कारो या अन्य अवसरो पर व्यय, यदि वह कुल मिलाकर 2,500 रु० से अधिक हो या किसी एक अवसर पर 1,000 रुपए से अधिक हो।	
10. दान और सदान (डोनेशन), यदि वे कुल मिलाकर 2,500 से अधिक हो।	
11. स्टाको, शेयरो, प्रतिभूतियो आदि का क्रय, यदि रकम कुल मिलाकर 2,500 रु० से अधिक हो।	
12. निक्षेप, उधार और अग्रिम धन, यदि वे कुल मिला कर 2,500 रु० से अधिक हो।	
13. स्थावर सम्पत्ति का क्रय।	
14. सोना-चांदी, आभूषण, रत्नाभरण का क्रय, यदि रकम कुल मिला कर, 2,500 रु० से अधिक हो।	

भाग V—पूर्व वर्ष की समाप्ति पर धारित आस्तियों का विवरण
(टिप्पण क और ग देखिए)

	विशिष्टियां	अनुमानित मूल्य/रकम
1. भूमि, जिसके अन्तर्गत कृषि-भूमि भी आती है ।		
2. गृह-सम्पत्ति ।		
3. स्टाक, शेयर, प्रतिभूतियां आदि ।		
4. निक्षेप, उधार और अग्रिम धन ।		
5. यान		
6. सोना-चांदी, आभूषण, रत्नाभरण, यदि उनका मूल्य कुल मिला कर 50,000 रु० से अधिक हो ।		
7. नकदी अतिशेष ।		
8. बैंक अतिशेष ।		

टिप्पण क: जहां ठीक-ठीक ब्यौरे उपलब्ध न हों, वहां अनुमानित रकम दी जा सकती है ।

टिप्पण ख : जहां कोई व्यय एक मद के अधीन सम्मिलित किया जा चुका है, वहां उसके किसी अन्य मद के अधीन सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण ग : जहां एक से अधिक पूर्व वर्ष हों, वहां अन्तिम पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जो स्थिति हो, उसका उल्लेख किया जा सकता है ।

भाग VI—संलग्न विवरणों और प्रमाणपत्रों आदि की सूची

विवरण	प्रमाणपत्र, आदि

(iii) सत्यापन के नीचे टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 1—यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबन्ध के अधीन पहले ही दिए गए कर की रकम को, यदि कोई हो, गणना में लेने के पश्चात् इस विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, तो ऐसा कर इस विवरणी को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अवश्य संदत्त किया जाना चाहिए और विवरणी के साथ ऐसे संदाय का सबूत भी होना चाहिए—धारा 140 क";

(IV) **सत्यापन** के नीचे **टिप्पण** 2 में ,

"कठिन कारावास से, जो मामूली तौर से छह मासों से कम के लिए नहीं होगा और दो वर्षों तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) एक लाख रुपये से अधिक कर के अपवचन के मामले में, कठिन कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

दण्डनीय होगा " ;

(V) उपाबन्ध 'क' में, भाग I में, मद 1 में "(जिसके अन्तर्गत वेतन का बकाया या अग्रिम धन भी आता है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(जिसके अन्तर्गत वेतन का बकाया या अग्रिम धन या अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई किसी रकम का प्रतिसंदाय भी आता है) " कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(VI) उपाबन्ध 'ग' में,—

(क) भाग I में,—

(i) प्रथम स्तम्भ में, अंक "2" का लोप किया जाएगा और अंक "3", "4" और "5" को क्रमशः अंक "2", "3", और "4" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) छठे स्तम्भ के स्थान पर, निम्नलिखित स्तम्भ रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक, जिसके अन्तर्गत अभिधारियों द्वारा वहन किए गए नगरपालिका कर भी आते हैं जिनका भार स्वामी पर है— धारा 23 (1) का स्पष्टीकरण	वह राशि जिसके लिए सम्पत्ति (निजी कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग में लाये गए भाव के सिवाय) का वर्षानुवर्ष किराये पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो—धारा 23 (1) ";

(ख) भाग II के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"

भाग II : धारा 23 (2) /(3) के अन्तर्गत आने वाली स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की संगणना

1. वह राशि जिसके लिए सम्पत्ति का वर्षानुवर्ष किराये पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित है—धारा 23(1)

2. **कटौती कर** : सम्पत्ति पर नगरपालिका कर —
धारा 23 (1) का प्रथम परन्तुक

3. **अतिशेष** (1 में से 2 को घटा कर)

4. **कटौती करें** : अन्य सह-स्वामियों का अंश (ब्यौरे दीजिए)

5. **अतिशेष** : (3 में से 4 को घटा कर)

6. **कटौती करें** : मद 5 की रकम का आधा या 1800 रु०, दोनों में से जो भी कम हो

7. **अतिशेष** : (5 में से 6 को घटाकर) (स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति से सम्बन्धित आय के सिवाय, सकल कुल आय के 10 प्रतिशत तक सीमित —धारा 23 (2) का परन्तुक)

8. ऐसी सम्पत्ति के लिए कटौती, जो न तो किराये पर दी गई हो और न अधिभोगाधीन हो (उस स्थिति में लागू, जहां निर्धारिती केवल एक निवास गृह का स्वामी हो)—धारा 23 (3)

9. स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य (7 में से 8 को घटा कर)

(ग) भाग III में, स्तम्भ 2 में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा :—

"वह राशि, जिसके लिए सम्पत्ति (निजी कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग में लिए गए भाग के सिवाय) का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्ति-युक्त रूप से प्रत्याशित हो—धारा 23 (1)" ;

(घ) भाग IV के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात:—

भाग IV : आय की संगणना

उप भाग 'क' : धारा 23(2)/(3) के अन्तर्गत आने वाली स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति से आय की संगणना

1. स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य—भाग II से

2. निम्नलिखित की बाबत कटौतियां : (टिप्पण देखिए)

(क) मरम्मत—धारा 24(1)(i)

(ख) बीमा—धारा 24(1)(ii)

(ग) बन्धक या पूंजी प्रभार पर ब्याज—धारा 24(1)(iii)

(घ) भूमि पर किराया—धारा 24(1)(v)

(ङ) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज—धारा 24(1)(vi)

(च) भू-राजस्व, आदि—धारा 24(1)(vii)

(छ) अवसूलनीय किराया—धारा 24(1)(x) और नियम 4

योग

3. शुद्ध प्रभार्य आय :
(1 में से 2 को घटाकर)

उप-भाग 'ख' : अन्य सम्पत्ति से आय की संगणना

(जो उप-भाग क में समाविष्ट नहीं है)

1. अन्य सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य—भाग III से
2. निम्नलिखित की बाबत कटौतियां : (टिप्पण देखिए)
 - (क) मरम्मत—धारा 24(1)(i)
 - (ख) बीमा—धारा 24(1) (ii)
 - (ग) बन्धक या पूंजी प्रभार पर ब्याज—धारा 24(1)(iii)
 - (घ) वार्षिक प्रभार—धारा 24(1) (iv)
 - (ङ) भूमि पर किराया—धारा 24(1)(v)
 - (च) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज—धारा 24(1)(vi)
 - (छ) भू-राजस्व, आदि—धारा 24(1)(vii)
 - (ज) संग्रहण-व्यय—धारा 24(1) (viii)
 - (झ) रिक्तियां—धारा 24(1)(ix)
 - (ञ) अवसूलीय किराया—धारा 24(1)(x)

योग

3. अतिशेष: (1 में से 2 को घटाकर)
4. कटौती करे : अन्य सह-स्वामियों का अंश (ब्यौरे दीजिए)
5. शुद्ध प्रभार्य आय

उप-भाग ग : कुल आय की संगणना

1. स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय—उप-भाग क से
2. अन्य सम्पत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय—उप-भाग ख से
3. कुल शुद्ध प्रभार्य आय जो पृष्ठ 1 पर मद 3 में दिखाई जाएगी

(ङ) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"टिप्पण 2—धारा 23(1) के परन्तुक और धारा 23(3) के अन्तर्गत सम्पत्तियों की बाबत दावा की गई कटौतियों के ब्यौरे पृथक रूप में दें ।

टिप्पण 3—जहां उप-धारा 'ख' में दर्शित सम्पत्ति में एक से अधिक गृह हैं, और

(i) एक या अधिक गृह निर्धारिती के अनन्य स्वामित्व में है या हैं और शेष संयुक्त रूप से सह-स्वामियों के साथ स्वामित्व में हैं, या

(ii) ऐसे सभी गृह संयुक्त रूप से अन्य सह-स्वामियों के साथ स्वामित्व में हैं किन्तु विभिन्न सम्पत्तियों मे सह-स्वामियों के अंश एक जैसे नहीं हैं, वहा ऐसे प्रत्येक गृह से आय की सगणना पृथक रूप से की जानी चाहिए और ऐसे गृहों से शुद्ध प्रभार्य आय उस उप-भाग की मद 5 के सामने दर्शित की जानी चाहिए ।";

(vii) उपाबन्ध 'घ' में, भाग 1 में,—

(क) उप-भाग क में, मद 10 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"11. **चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सूचना**—

क्या चलचित्र फिल्मों के निर्माण में लगाए गए व्यक्तियों को किए गए संदायों का धारा 285 ख के अधीन विवरण सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को भेज दिया गया है ?";

(ख) उप-भाग 'ख' में,—

(i) मद 3 में,—

(क) उप-मद (1) को उप-मद (ङ) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन: अक्षरांकित उप-मद (ङ) से पूर्व निम्नलिखित उप-मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(ठ) उपदान के संदाय के लिए की गई कोई व्यवस्था धारा 40क(7) ।";

(ख) इस प्रकार पुन: अक्षरांकित मद (ङ) में, "की गई कोई व्यवस्था" शब्दों के स्थान पर, "कोई अन्य व्यवस्था" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मद 8 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"8. पी० और एल० खाते में नामे खाते रकमों के आधिक्य में अनुज्ञेय वैज्ञानिक अनुसन्धान निर्यात बाजार विकास मोक/कृषि विकास मोक पर व्यय की बाबत कटौती—धारा 35, 35ख और 35 ग";

(iii) अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण—अनिवासियों की दशा में पोत परिवहन से लाभ और अभिलाभ धारा 44ख के विशेष उपबन्धों के अनुसार संगणित किए जाने चाहिए ।";

(viii) उपाबन्ध 'छ' में, भाग I में:—

(क) मद 5, 6, 7 और 8 को क्रमश: मद 6, 7, 8 और 11 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा, और

(i) इस प्रकार पुन: संख्यांकित मद 6 से पूर्व, निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"5. पशु-धन प्रजनन, या कुक्कुटपालन या दुग्ध उद्योग के कारबार से लाभ और अभिलाभ—80ञ्ञञ";

(ii) इस प्रकार पुन: संख्यांकित मद 11 से पूर्व, निम्नलिखित मदें अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"9. अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए उधार लिए गए धनों पर ब्याज—80 फ

10. अधिनियम के अधीन दायित्व के अवधारण से सम्बन्धित कार्यवाहियों की बाबत व्यय—80 फफ";

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद 11 में, "80ज से 80त तक, 80द" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "80 चच, 80 छछ, 80ज्ञ से 80त तक, 80 द, 80 दद" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण में, "80प" अंकों और अक्षर के स्थान पर, "80 फफ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(3) प्ररूप संख्या 2 के पश्चात्, निम्नलिखत प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप संख्या 2क

आय की विवरणी

आय-कर अधिनियम, 1961 नियम 12(1)(ख)(ii)	ऐसे व्यष्टियों के लिए, जिनकी कुल आय में सरकार से प्राप्त 'वेतन' शीर्ष के अधीन आय सम्मिलित है, किन्तु "गृह सम्पत्ति से आय", "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "पूंजी अभिलाभ" शीर्षों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है, और जिनकी कोई कृषि-आय नहीं है ।	आय-कर कार्यालय में उपयोग के लिए

नाम, स्पष्ट अक्षरों में (पहले उपनाम लिखें)		निर्धारण वर्ष
कार्यालय का पता	टेलीफोन	——————को समाप्त पूर्व वर्ष
†निवास का पता	टेलीफोन	स्थायी खाता संख्या
क्या यह पुनरीक्षित विवरणी है? यदि हां, तो पूर्व विवरणी की तारीख का उल्लेख करें ।		'निवासी' हैं, या 'अनिवासी' हैं या 'मामूली तौर पर निवासी नहीं हैं'

भाग I : **कुल आय का विवरण** (अधिनियम के अध्याय V के अधीन आय को सम्मिलित करते हुए)

आय का शीर्ष	आय/हानि (०) (यदि कुछ नहीं है, तो 'कुछ नहीं' लिखिए)
1. वेतन (उपाबंध 'क')	
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज (टिप्पण देखिए)	(क) सरकारी प्रतिभूतियां
	(ख) अन्य प्रतिभूतियां
3. अन्य स्रोतों से आय (टिप्पण देखिए)	(क) लाभांश
	(ख) ब्याज
	(ग) वार्षिकी या उसका संराशित मूल्य–धारा 280घ
	(घ) अन्य मदें
4. मद 1 से लेकर 3 तक का कुल जोड़ [धारा 70, 71 और 74क के अधीन हानियों के समायोजन के अधीन]	
5. कटौती कीजिए: धारा 32(2) के साथ पठित धारा 57 के अधीन पूर्व वर्षों से अग्रानीत समामेलित न की गई हानियां/मौक	
6. सकल कुल आय	
7. कम कीजिए : अनुज्ञेय कटौतियां (उपाबन्ध 'ख' का भाग I)	
8. कुल आय (दस पए के निकटतम गुणज तक यथा पूर्णांकित—धारा 288 क)	(क) अंकों में : ----------
	(ख) शब्दों में : ----------

9. मद 1 से लेकर 3 तक में सम्मिलित की गई आय

(क) भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय

(ख) पति या पत्नी/अवयस्क सन्तान/पुत्र की पत्नी/पुत्र की अवयस्क सन्तान या अधिनियम के अध्याय V में यथा-निर्दिष्टि किन्ही अन्य व्यक्तियों को उद्भूत होने वाली आय

†सशस्त्र बलों के सदस्य यहां सी०डी०ए० (ओ)/सेवा या पी०ए० संख्या उपदर्शित कर सकते हैं ।

टिप्पण : "प्रतिभूतियों पर ब्याज" और "अन्य स्रोतों से आय" की बाबत सकल आय और कथित व्यय के ब्यौरे पृथक कागज पर दीजिए ।

भाग II—पूर्वसंदत्त करों का विवरण

स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रमाण-पत्र संलग्न कीजिए)		अग्रिम कर (संदाय का सबूत संलग्न कीजिए)		स्वतः निर्धारण पर कर (संदाय का सबूत संलग्न कीजिए (टिप्पण 1 देखिए)	
विशिष्टियां	रकम	संदाय की तारीख	रकम	संदाय की तारीख	रकम
1. वेतन					
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज					
3. अन्य ब्याज					
4. लाभांश					
5. कोई अन्य आय					
योग					

भाग III—कर से छूट प्राप्त आय की विशिष्टियों के सम्बन्ध में विवरण

विशिष्टियां	रकम	कराधेय न होने के कारण

संलग्न विवरणों और प्रमाणपत्रों, आदि की सूची

विवरणियां	प्रमाणपत्र, आदि

सत्यापन (टिप्पण 2 देखिए)

मैं (पूर्ण, और सुस्पष्ट अक्षरों में नाम)* सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि इस विवरणी और उसके साथ के उपाबन्धों और विवरणों में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा उनमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सही रूप में वर्णित हैं और वे 1 अप्रैल, 19.....को आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से संगत पूर्ववर्ष/ पूर्ववर्षों से सम्बन्धित हैं ।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह और घोषणा करता हूं कि उक्त पूर्ववर्ष/पूर्ववर्षों के दौरान—

*मुझको

(क) कोई अन्य आय—

उस व्यक्ति को, जिसके लिए और जिसकी ओर से यह विवरणी दी गई है

उस व्यक्ति को, जिसकी कुल आय की बाबत मैं निर्धारण योग्य हूं

*मेरे नाम में

उस व्यक्ति के नाम में, जिसके लिए और जिसकी ओर से यह विवरणी दी गई है

उस व्यक्ति के नाम में, जिसकी कुल आय की बाबत मैं निर्धारण-योग्य हूं

या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धारित किसी आस्ति से,
प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं हुई है;

(ख) ऐसी कोई अन्य आय नहीं है, (जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की आय भी सम्मिलित है), जिसकी बाबत

*मैं

उक्त व्यक्ति

आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर से प्रभार्य हूं / है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं यह विवरणी की हैसियत में दे रहा हूं और मैं यह विवरणी देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

स्थान----------

तारीख ---------- ----------

(हस्ताक्षर)

टिप्पण 1. यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबन्ध के अधीन पहले ही संदत्त कर की रकम को, यदि कोई हो, गणना में लेने के पश्चात्, इस विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, तो ऐसे कर का इस विवरणी के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संदाय किया जाना चाहिए —धारा 140 क ।

टिप्पण 2. **सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी और उसके साथ के उपाबन्ध और विवरण सभी प्रकार सही और पूर्ण हैं।** (ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस विवरणी या उसके साथ के उपाबन्धों या विवरणों में मिथ्या कथन करता है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगी और दोषसिद्धि पर —

(i) एक लाख रुपये से अधिक के कर के अपवंचन के मामले में, कठिन कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से ;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से,

दण्डनीय होगा।)

उपाबन्ध 'क' : वेतन

भाग I : आय की संगणना

1. वेतन [जिसके अन्तर्गत वेतन का बकाया या अग्रिम धन या अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन किसी रकम का प्रति-संदाय भी आता है], मजूदरी, फीसों, पेंशन (जिसके अन्तर्गत पेंशन का संराशित मूल्य भी आता है) प्रौढ्य वार्षिकी और उपदान, उस सीमा तक जहां तक वे कर से छूट प्राप्त नहीं है, जो गत वर्ष के दौरान संदत्त या अनुज्ञात हुए हों।

2. **अन्य नकद भत्ते/संदाय, उस सीमा तक, जहां तक वे कर से छूट प्राप्त नहीं हैं।**

(क) मकान किराया

(ख) सवारी

(ग) सत्कार

(घ) अन्य मदें : (ब्यौरे दीजिए).....

.....

योग

3. **नियोजक द्वारा दी गई परिलब्धियों का मूल्य :**

(क) किराया-मुक्त या रियायती वास-सुविधा
——धारा 17 (2) (1) और (ii)

(ख) निःशुल्क या रियायती फायदे/सुख-सुविधाएं
——धारा 17 (2) (iii) (ग) : (टिप्पण 1 देखिए) अर्थात् —

(i) सवारी नियम 3 (ग)..... (iv) वैयक्ति यात्रा

(ii) गैस, विद्युत् और जल
——नियम 3(घ) (v) कोई अन्य मद
(ब्यौरे दीजिए)

(iii) घरेलू या वैयक्तिक सेवाएं
योग

(ग) निर्धारिती की बाध्यताओं की बाबत नियोजक द्वारा संदाय (जिनमें बालकों की शिक्षा, आय-कर, आदि भी आते हैं) और जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए नियोजक द्वारा संदेय राशियां ———

धारा 17 (2) (iv) और (v)

4. वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ और "वेतन" शीर्ष के अधीन कोई अन्य प्रभार्य आय (ब्यौरे दीजिए) :

5. मद 1 से लेकर 4 तक का योग

6. निम्नलिखित की बाबत कटौतियां : (टिप्पण देखिए)

(क) नियोजन का आनुषंगिक व्यय
धारा 16 (i)

(ख) सत्कार भत्ता

धारा 16 (ii)

उपमद (क) और (ख) का योग

7. "वेतन" शीर्ष के अधीन निर्धारण——योग्य शुद्ध आय जो पृष्ठ 1 पर मद 1 में दिखाई जाएगी

टिप्पण 1. मद 3(ख) केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरी जानी है जिनकी 'वेतन' शीर्ष के अधीन आय (उन फायदों / सुख-सुविधाओं को, जो धन के रूप में नहीं दी गई हैं, सम्मिलित न करते हुए) 18,000 रु० से अधिक है।

टिप्पण 2. जहां विवरणी निर्धारण वर्ष 1974–75 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में हो, वहां धारा 16 (i) से लेकर (v) तक के अधीन कटौतियां पृथक् रूप से दिखाई जानी चाहिए।

भाग II——ऐसी रकमें, जो धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट के कारण भाग 1 में सम्मिलित नहीं की गई हैं।

1. यात्रा-रियायत——धारा 10 (5)
2. उपदान——धारा 10 (10)
3. मकान किराया भत्ता——धारा 10 (13क)
4. सवारी या अन्य विनिर्दिष्ट भत्ते——धारा 10 (4)
5. अन्य मदें (ब्यौरे दीजिए)

उपाबन्ध "ख" : बाबा की गई कटौतियां, कर रिबेट और राहतें

भाग I : कटौतियां

विशिष्टियां	धारा	सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती की प्रतिशत दर या सीमा	कटौती की रकम
1	2	3	4	5	6
1. जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, आदि	80ग				
2. दान	80छ				
3. नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों, पोत या होटल कारबार से लाभों के फलस्वरूप लाभांश	80ट				
4. कतिपय प्रतिभूतियों पर ब्याज, अन्य ब्याज लाभांश आदि	80ठ				
5. अन्य कटौतियां, यदि कोई हों, जिनमें धारा 80घ से लेकर 80 चच तक, 80छछ, 80ब, 80ददक, 80ननक, 80प से 80फफ तक या 280 ण के अधीन अनुज्ञेय अन्य कटौतियां भी आती हैं (ब्यौरे दीजिए)					

षष्ठ 1 को मद 7 में दिखाया जाने वाला योग

भाग II-कर से छूटे

विशिष्टियां	रकम
1. कर से मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज –धारा 86 क	
2. कोई अन्य मद : (ब्यौरे दीजिए)	

भाग III : दोहरे कराधान से राहत

कुल आय में सम्मिलित आय, जिस पर धारा 90 या 91 के अधीन दोहरे कराधान से राहत का दावा किया गया है : (ब्यौरे दीजिए)

(4) प्ररूप सं० 3 में,—

(i) "नियम 12 (1) (ख) (II)" शब्द, अंको, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "नियम 12 (1) (ख) (III)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) भाग I में,—

(क) मद 10 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात:—

"

10. कुल आय

(दस रुपये के निकटतम गुणज तक यथा पूर्णांकित—धारा 288 क)

(क) अंको में

(ख) शब्दों में

";

(ख) मद 11 में, उप-मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ख) पति या पत्नी/अवयस्क सन्तान/पुत्र की पत्नी/पुत्र की अवयस्क सन्तान या अधिनियम के अध्याय 5 में यथा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को उद्भूत होने वाली आय ।";

(iii) भाग II और भाग III के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखे जाएंगे, अर्थात:—

"भाग II : पूर्व संदत्त करों का विवरण

स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)		अग्रिम कर (संदाय का सबूत संलग्न कीजिए)		स्वतः निर्धारण पर कर [संदाय का सबूत संलग्न कीजिए (टिप्पण । देखिए)]	
विशिष्टियां	रकम	संदाय की तारीख	रकम	संदाय की तारीख	रकम
1	2	3	4	5	6
1. वेतन					
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज					

1	2	3	4	5	6

3. अन्य ब्याज

4. लाभांश

5. लंबिदा–प्राप्तियां

6. बीमा कमीशन

7. कोई अन्य आय

योग

भाग III : कर से छूट प्राप्त आय की विशिष्टियों के सम्बन्ध विवरण

विशिष्टियां	रकम	धारा, जिसके अधीन आय को छूट दी गई है

संलग्न विवरणों और प्रमाणपत्रों, आदि की सूची

विवरण	प्रमाणपत्र, आदि

(iii) **सत्यापन** के नीचे **टिप्पण** 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात:—

"टिप्पण 1—यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबन्ध के अधीन पहले ही संदत्त कर की रकम को, यदि कोई हो, गणना में लेने के पश्चात, इस विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, तो ऐसे कर का इस विवरणी के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संदाय किया जाना चाहिए—धारा 140 क।" ;

(vi) **सत्यापन** के नीचे **टिप्पण** 2 में, "कठिन कारावास से, जो मामूली तौर पर छह मास से कम का नहीं होगा और जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) एक लाख रुपये से अधिक के कर के आशयित अपवंचन के मामले में, कठिन कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।";

(v) उपाबन्ध क 'में', भाग I में, मद 1 में, "(जिसके अन्तर्गत वेतन का बकाया या अग्रिम धन भी आता है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "[जिसके अन्तर्गत वेतन का बकाया या अग्रिम धन या अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम 1974 के अधीन जमा की गई किसी रकम का प्रतिसंदाय भी आता है"] कोष्ठक शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(vi) उपाबन्ध 'ख' में,—

(क) भाग I में,

(i) प्रथम स्तम्भ में से अंक "2" का लोप किया जाएगा और अंक "3", "4" तथा "5" को क्रमशः अंक "2", "3" तथा "4" के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा;

(ii) छठे स्तम्भ के स्थान पर, निम्नलिखित स्तम्भ रखे जाएंगे, अर्थात्.—

प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक जिसके अन्तर्गत अभिधारियों द्वारा वहन किए गए वे कर भी आते हैं जिनका भार स्वामी पर है—धारा 23(1) का स्पष्टीकरण	वह राशि, जिसके लिए सम्पत्ति का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित है —धारा 23(1)'

(ख) भाग II के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्.—

भाग II : धारा 23 (2)/(3) के अन्तर्गत आने वाली स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की संगणना

1. वह राशि जिसके लिए सम्पत्ति का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित है—धारा 23(1)
2. **कटौती कीजिए** : सम्पत्ति पर नगरपालिका कर—धारा 23(1) का प्रथम परन्तुक
3. अतिशेष : (1 में से 2 को घटा कर)
4. **कटौती कीजिए** : अन्य सह-स्वामियों का अंश (ब्यौरे दीजिए)
5. अतिशेष : (3 में से 4 को घटा कर)
6. **कटौती कीजिए** : मद 5 में की रकम का आधा या 1800 रु०, दोनों में से जो भी हो
7. अतिशेष : [5 में से 6 को घटा कर]
[स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति से सम्बन्धित आय को सम्मिलित न करते हुए सकल कुल आय के 10% तक सीमित—धारा 23(2) का परन्तुक]

8. ऐसी सम्पत्ति के लिए कटौती, जो न तो किराए पर दी गई हो और न स्वाधिभोगाधीन हो [उस स्थिति में लागू जहां निर्धारिती का केवल एक निवास-गृह हो], धारा 23(3)

9. स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य

(7 में से 8 को घटा कर)";

(ग) भाग III में, स्तम्भ 2 में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वह राशि, जिसके लिए सम्पत्ति का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो या जहां सम्पत्ति किराए पर दी गई है और प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक उक्त रकम से अधिक है, वहां ऐसा भाटक—धारा 23(1)1";

(घ) भाग IV के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भाग IV: आय की संगणना

उप-भाग 'क' : धारा 23 (2)/(3) के अन्तर्गत आने वाली स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति से आय की संगणना

1. स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य—भाग II से

2. निम्नलिखित की बाबत कटौतियां: [टिप्पण देखिए]

(क) मरम्मत—धारा 23(1)(i)————————

(ख) बीमा—धारा 24(1)(ii)————————

(ग) बन्धक या पूंजी प्रभार पर ब्याज—धारा 24(1)(iii)————————

(घ) भूमि का किराया—धारा 24(1)(v)————————

(ङ) उधार लिए गए धन पर ब्याज—धारा 24(1)(vi)————————

(च) भू-राजस्व आदि—धारा 24(1)(vii) ————————

(छ) अवसूलीय किराया—धारा 24(1)(x) और नियम 4————————

————————

योग

————————

3. शुद्ध प्रभार्य आय :

(मद 1 से मद 2 को घटा कर) ————————

उप-भाग 'ख' : अन्य सम्पत्ति से आय की संगणना

(जो उप-भाग 'क' में समाविष्ट नहीं है)

1. अन्य सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य—भाग III से

2. निम्नलिखित की बाबत कटौतियां : [टिप्पण देखिए]

(क) मरम्मत—धारा 24 (1)(i)————————

(ख) बीमा–धारा 24(1)(ii)————

(ग) बन्धक या पूंजी प्रभार पर ब्याज—धारा 24(1)(iii)————

(घ) वार्षिक प्रभार—धारा 24(1)(iv)————

(ङ) भूमि का किराया—धारा 24(1) (v)————

(च) उधार ली गई पुंजी पर ब्याज—धारा 24(1)(vi)————

(छ) भू-राजस्व—धारा 24(1)(vii)————

(ज) संग्रहण प्रभार—धारा 24(1)(viii)————

(झ) रिक्तियां—धारा 24(1)(ix)————

(ञ) अवचलीय किराया धारा 24(1)(x) और नियम 4————

योग

3. अतिशेष : (1 में से 2 को घटाकर)

4. अन्य सह-स्वामियों का अंश

5. शुद्ध प्रभार्य आय

उप-भाग 'ग' : कुल आय की संगणना

1. स्वाधिभोगाधीन सम्पत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय
—उप-भाग 'क' से

2. अन्य सम्पत्ति से शुद्ध प्रभार्य आय
—उप-भाग 'ख' से

3. कुल शुद्ध प्रभार्य आय जो पृष्ठ 1 की मद 3 में दिखाई जाएगी

",

(ङ) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"टिप्पण 2. धारा 23(1) के द्वितीय परन्तुक और धारा 23(3) के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों की बाबत दावा की गई कटौतियों के ब्यौरे पृथक से दीजिए ।

टिप्पण 3. —जहां उप-भाग 'ख' में दर्शित सम्पत्ति में एक से अधिक गृह हैं और

(i) एक या अधिक गृह निर्धारिती के अनन्य स्वामित्व में है या हैं और शेष संयुक्त रूप से सह-स्वामियों के साथ स्वामित्व में हैं किन्तु विभिन्न सम्पत्तियों में सह-स्वामियों के अंश एक जैसे नहीं हैं, वहां ऐसे प्रत्येक गृह से आय की संगणना पृथक रूप से की जानी चाहिए और ऐसे गृहों से शुद्ध प्रभार्य आय उस उप-भाग की मद 5 के सामने उपदर्शित की जानी चाहिए ।";

(ii) उपाबन्ध 'ख' में, भाग I में,—

(क) मद 6 के स्थान पर, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"6. अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए उधार लिए गए धनों पर ब्याज— 80

7. अधिनियम के अधीन दायित्व के अवधारण से सम्बन्धित कार्यवाहियों की बाबत व्यय —80 फ फ

8. **अन्य कटौतियां**, यदि कोई हों,

जिनके अन्तर्गत धारा 80 घ से लेकर 80 च च तक,

80 छ छ, 80 त, 80 द, 80 द द क, 80 न न, 80 प य, 280 ण

के अधीन अनुज्ञेय कटौतियां भी आती हैं [ब्यौरे देखिए] ";

(ख) टिप्पण में, "80 फ" अंकों और अक्षर के स्थान पर

"80 फ फ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(5) प्ररूप सं० 3क में,—

(i) भाग 1 में,—

(क) मद 9 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात :—

"9. **कटौती कीजिए** :

(i) पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त रकम

(टिप्पण 1 और 2 देखिए)

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की गई समझी गई रकम धारा 11(1) के स्पष्टीकरण का खण्ड 2 (टिप्पण 1 और 2 देखिए)

(iii) रकम, जो उस विस्तार तक, जहां तक वह* पूर्णतः/केवल भागतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संचित की जाए या अलग रखी जाए ।

अन्तिम रूप से अलग रखी जाए ।

(iv) धारा 11(1) (ग) के अधीन छूट-योग्य रकम ऊपर (iii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित की गई या अलग रखी गई है, यदि धारा ii (2) की सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया है :

(टिप्पण 3 देखिए)

(vi) (i) से (v) तक का योग : (टिप्पण 4 देखिए) " ;

(ख) मद 11 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :--

"11. **जोड़िए** :	
(i) धारा 11 (1ख) के अधीन प्रभार्य आय	
(ii) धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय	
(iii) आय, जिसकी बाबत धारा 11 के अधीन छूट धारा 13 के उपबन्धों के कारण उपलब्ध नहीं है (उपाबन्ध 1)" ;	

(ग) मद 14 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"14. **कुल आय**	
(दस रुपये के निकटतम गुणज तक यथा पूर्णांकित—धारा 288 क)	
(क) अंकों में	
(ख) शब्दों में	

(ii) भाग II में,—

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग : **कर से छूट प्राप्त आय की विशिष्टियों के सम्बन्ध में विवरण** " ;

(ख) स्तम्भ 3 में, "करार्धेय न होने के कारण" शब्दों के स्थान पर "धारा जिसके अधीन आय को छूट दी गई है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) **सत्यापन** के नीचे टिप्पण 1, टिप्पण 2, टिप्पण 3 और टिप्पण 4 को क्रमशः टिप्पण 2, टिप्पण 3, टिप्पण 4 और टिप्पण 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 2 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"†**टिप्पण** 1. ऐसे न्यास या संस्था की दशा में जो पूर्णतः पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए सर्जित या स्थापित नहीं की गई है , न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों में से, पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई भी रकम कटौती के रूप में अनुज्ञेय नहीं है।";

(iv) **सत्यापन** के नीचे इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 3 में, "(iii)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर " (iv)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(v) **सत्यापन** के नीचे, इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 4 में "मद (i), (ii) और (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "मद (i), (ii), (iii), (iv) और (v) " शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(vi) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 5 में, "कठिन कारावास से, जो मामूली तौर से छह मास से कम का नहीं होगा और जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) एक लाख रुपये से अधिक के कर के आशयित अपवंचन के मामले में, कठिन कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से ;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से,

दण्डनीय होगा । " ;

(vii) उपाबन्ध 'ख' में,—

(क) भाग I में, स्तम्भ 6 के स्थान पर, निम्नलिखित स्तम्भ रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"

प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक, जिसके अन्तर्गत अभिधारियों द्वारा वहन किए गए वे नगरपालिक कर भी आते हैं जिनका भार स्वामी पर है—धारा 23(1) का स्पष्टीकरण	वह राशि जिसके लिए सम्पत्ति (निजी कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग में लाए गए भाग के सिवाय) का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित है—धारा 23(1)

"

(ख) भाग II में, स्तम्भ (2) में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वह राशि, जिसके लिए सम्पत्ति (निजी कारबार या वृत्ति के लिए उपयोग में लाए गए भाग के सिवाय) का वर्षानुवर्ष किराए पर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित है या जहां सम्पत्ति किराए पर दी जाती है और प्राप्त या प्राप्य वार्षिक भाटक उक्त रकम से अधिक है, ऐसा भाटक—धारा 23(1)";

(viii) उपाबन्ध 'ग' में, भाग I में,—

(क) उप भाग 'क' में,—

(i) मद 7 में, उप-मद (क) में, "संपरीक्षक की रिपोर्ट; और" शब्दों के स्थान पर "संपरीक्षक की रिपोर्ट । यदि कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 233ख के अधीन की गई है, तो संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए; और" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) मद 8 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"9. **चल चित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सूचना**—

क्या चलचित्र फिल्मों के निर्माण में लगाए गए व्यक्तियों को किए जाने वाले संदायों का विवरण धारा 285 के अधीन सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को दे दिया गया है ? ";

(ख) उप-भाग 'ख' में,—

(I) मद 3 में—

(क) उप-मद (झ) को उप-मद (ढ़) के रूप मे पुन: अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित मद (ढ़) से पूर्व निम्नलिखित मदें अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) उपदान के संदाय के लिए की गई कोई व्यवस्था —धारा 40क(7)—

(ड) निक्षेपों की बाबत ब्याज के रूप में व्यय—धारा 40क(8)";

(ख) इस प्रकार पुन: अक्षरांकित उप-पद (ढ़) में, की गई कोई व्यवस्था" शब्दों के स्थान पर "कोई अन्य व्यवस्था" शब्द रखे जाएंगे;

(II) अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण—अनिवासियों की दशा मे पोत परिवहन से लाभ और अभिलाभ धारा 44ख के विशेष उपबन्धों के अनुसार संगणित किए जाने चाहिएं।";

(ix) उपबन्ध 'च' में, भाग I में,—

(क) मद 3 को मद 5 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित मद 5 से पूर्व, निम्नलिखित मदें अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"3. अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए उधार लिए गए धनों पर ब्याज —80 फ

4 अधिनियम के अधीन दायित्व के अवधारण से सम्बन्धित कार्यवाहियो की बाबत व्यय—80 फ फ ";

(ख) टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन:संख्यांकित टिप्पण 1 मे, "80प" अंकों और अक्षर के स्थान पर "80 पप" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) इस प्रकार पुन: संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"टिप्पण 2—जहां धारा 80 डड, धारा 80ढ़ या धारा 80 ण के अधीन कटौती का प्रथम बार दावा किया जाए, वहां बोर्ड के उस आदेश की प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें सुमंगत करार का अनुमोदन किया गया है।";

(X) उपाबन्ध 'छ' में के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्:—

"उपाबन्ध "छ" पूर्व-संदत्त करों का विवरण

स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए)		अग्रिम कर (संदाय का सबूत संलग्न कीजिए)		स्वतः निर्धारण पर कर [संदाय का सबूत संलग्न कीजिए (टिप्पण देखिए)]	
विशिष्टियां	रकम	संदाय की तारीख	रकम	संदाय की तारीख	रकम
1. प्रतिभूतियों पर ब्याज					
2. अन्य ब्याज					
3. लाभांश					
4. कोई अन्य आय					
योग					

टिप्पण : यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबन्ध के अधीन पहले ही दिए गए कर की रकम को, यदि कोई हो, गणना में लेने के पश्चात्, इस विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, तो ऐसा कर इस विवरणी के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अवश्य संदत्त किया जाना चाहिए और विवरणी के साथ ऐसे संदाय का सबूत भी होना चाहिए—धारा 140क"।

[सं० 1242/फा० सं० 133 (220)/75—टी०पी०एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976